

नियम 35 : एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर को मिलाकर प्रदाय का मूल्य

जहां प्रदाय के मूल्य में, यथास्थिति, एकीकृत कर या केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर सम्मिलित हैं, वहां कर की रकम को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :-

कर की रकम = (करों सहित मूल्य x यथास्थिति, आईजीएसटी या सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के प्रतिशत में कर की दर) / (100 + कर दरों की राशि, जो प्रतिशत में लागू है)

इस अध्याय के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, -

- (क) माल, सेवा या दोनों की प्रदाय के “**खुले बाजार मूल्य**” पद से ऐसा संपूर्ण धनीय मूल्य अभिप्रेत है, जो एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा संदेय उपकरण को अपर्जित करने पर आता है, जहां प्रदाय का प्रदायकर्ता और प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं है और उस समय, जब प्रदाय का मूल्य किया जाता है, ऐसी प्रदाय को अभिप्राप्त करने के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है;
- (ख) “**उसी प्रकार के और उसी क्वालिटी के माल या सेवा या दोनों की प्रदाय**” पद से उन्हीं परिस्थितियों के अधीन माल या सेवा या दोनों की, की गई कोई अन्य प्रदाय अभिप्रेत है, जो पहले उल्लिखित माल या सेवा या दोनों की विशेषता, क्वालिटी, मात्रा, कृत्यकारी संघटक, सामग्रियों और ख्याति के संबंध में माल या सेवाओं या दोनों की उस प्रदाय के प्रकार की या निकटतम अथवा सारतः उसके सदृश्य हैं।